/HHTT-2-2004-2(345)/2004

जगन्ताय पत्त, संयुक्त सविव, उत्तर प्रदेश शासन।

रोवा में.

मुलसंधिय, योग वरण सिंह विश्वविद्यालय. मेरठ।

द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना।

उत्तव विकास अनुमान-2

तस्त्रनकःविनोकः । ३ जनवरी, 2005 विषय:-बार कार्डोमल आफ इण्डिया के क्षेत्रमार्गात एसाउएसाउनीठ पाठ्यक्रम में राज्य सरकार

महोदय.

उपर्वृतत विषय से सम्बन्धित आएके पत्र संस्थाःसम्बद्धता /630, दिनांक 27-11-2004 हे सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सन्य सरकार ने सम्बक् विचारीपरीनी सरस्वती विद्या मन्दिर ला कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर की एसक्सलकीक (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम स्वविता पोधित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेवु निर्मातिक्रित शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनापतित प्रदान कर दी है:-

उत्तत पाल्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर्ने और पश्यात एवं बार कार्डामल ऑफ इन्डिया के अनुमोदनोपराना ही छात्री के प्रवेश लिये जायेंगे।

संस्थान सम्बन्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व भवन निर्माण की कार्यवाही एव

आवश्यक अवस्थायना सुविधाओं को पूर्ण कर तेथी।

मध्यविद्यालय के नाम भूमि राजस्य अभिलेखों में दर्ज होने, निजी भवन में उकत पाठबद्धभ प्रारम्भ करने एवं अवस्थापना सामग्री तथा कार्यशील पूर्वी की उपलब्धता का पुनः एरोडाम करने के उपरान्त ही शासन्त्रदेश संख्या-3075, मात्तर-2-2002-2(160) /2002, 特利等 27 मितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संबंध-193 /समार-2-2003-2(166) /2002, दिनोड 13 जनवरी, 2003 वे विनिर्देश्य मानको के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की नावेगी।

(4) संस्थान की किसी सार्ववितिरी से राज्य सरकार का कोई सरीकार नहीं होगा।

(5) मंन्यान विश्वविद्यालय त्राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार कार्जमल और इंग्डिया हारा समय-समय पर जारी नीवि विषयक आदेशी एवं निर्देशी का अनुपातन करेगी।

माननतनुमार आवश्यक भूगि महाविद्यालय के नामु राजस्य अभिनेस्तों में दर्ज कराकर क्योंनी की प्रति सक्षय राजस्य आंपकारी से प्रमाणित कसकुर अथवा मूमि किसी धाराम प्राणिकरण में क्य किये जाने की मिथाति में सीवाडीड की प्रमाणित प्रांत मन्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करावी आवेगी।

> Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)

The cities

उका, पाठ्नकम का संधालन अनामति प्रदान करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत मू-अभितेखों में उत्सिक्ति शिकारपुर में ता कातेज हेतु अंकित 2062 वर्ग मीटर पूर्वि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जावेगा। उस्पन्न संचालित करने पर वह अनारतीत अधिश स्वतः निरस्त समझा जायेया।

इस्ट/सोंसाइटी एक प्रवन्ध समिति का गठन कर सेपा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं हींने और घूमि महाविधालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

अनुरोप है कि कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदाव,

(जगन्नाथ पात) संयुक्ता सचिव।

मंच्या- १७४२ - (३) /सतार-२-२००४-तद्दिनांक

प्रतितिपि निम्नतिथित को सूचनार्थ एवं अवश्वक कार्यवाही हेतु प्रेहेत:-

- (1) सविव, बार काउंसिल ऑफ इन्डिया, 21, राइक एवेन्यू, इंस्टीर्यूरानल एविंदा, नई
- (2) सचिव, सल्यानन्द शिक्षा समिति, सरस्वती विहार, त्रिकारपुर, बुतन्दरहर।

(3) নিবিষক, তথ্ব বিষয়, তত্ত্বত, इसाहमध्य।

(4) शेत्रीय उच्च शिता अधिकारी, मेरद।

(5) শার্ড फाइत ।

आशा से,

(जगन्नाच पात) ्संबुक्त सचिव।

Manager

Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)

संख्या-सन्द0-173/सलर-2-2008-2(266)/2008

वेषक,

इन्द्रदेव पटेल. अंतु सचिय, उत्तर प्रदेश शासन्।

लेक मे

क्लसचिद, थी। चरण सिंह विस्वविद्यालय,

लदानऊविचाक 29 जुलाई

उथ्य विशा अनुभाग-2

विषय:-महोदय,

महाविधासय संचालन देत सम्बद्धता की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक आपके प्रजांक सम्बद्धता/317, दिनांक 05 गई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथामजोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मंदिर तो कालेज, विकारपुर, युलन्दशहर की एलाएलाव्यीठ (शीन वर्षीय) पाइएकम में स्वकित ग्रेमित ग्रोजमा के अन्तर्गत निम्मितिगित शतों से अधीन दिनाक 01-07-2008 से सम्बद्धता की सहये स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

महाविद्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्री को प्रदेश अदान किया जायेण तथा बार काउसित ऑफ इंग्डिया हारा समय-समय पर ठारी

दिशा-निर्देशी का पालन किया जायेगा।

संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांव 02 जुनाई, 2003 एव (2) शासनारेश संख्या-4108/सलार-2-2007-2(494)/2007, दिनोक 17 अवटूबर, 2007 मे उल्लिखित विशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनावेशों का पातन करेगी।

पदि संस्था ग्रास् विश्विपद्यालय की परिनियमाथली/अध्यादेश में वर्णित तथा बहसन एवं (3) विश्विपद्मालयं द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरम्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उतार प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 फे प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धल बाधस लिये जाने की कार्यवादी निवधानुसार की

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सविवः

संख्या-सन्दा0-173(1)/सत्तार-2-2008-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नतिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ववाही हेतु प्रेपितः-

मधिव. बार काउंसिल ऑफ इन्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इनस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2

निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इसाराबाद।

- क्षेत्रीय उच्य जिल्ला आधिकारी, मेरठ ।
- स्थिय /प्रयम्पक, सरस्वती विद्या मंदिर सा कालेज, शिकारपुर, गुलस्दश्रवर । (4)
- निजी संचित्, मांग्रे उच्च जिला मंत्री।

(6) गार्व फाइल ।

आका से, (इन्द्रव पटेल)

> Manager Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता 205 दिनांक : 24.12.2005

मचिव, सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कालेज, सरस्वती विद्यार, शिकारपुर बुलन्दभहर महोदय,

माननीय कुलावियति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 1360/जी.श्स. दिनांक 21.07.2005 का संदर्भ प्रहण करने का कच्ट करें, जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलावियति महोदय ने उठ्यठ राज्य विश्वविद्यालय अधिनयन 1973 को धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मंदिर शाँ कालेज, जिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को एल-एल-बीठ (तीन वर्षीय) पाठयक्रम में 160 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्यत निन्नितिस्त शर्मों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आणामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता को स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर से है-

- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र ची' में इंगित समस्त किमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अरुवे शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रयोक्ष प्रतिबन्धित रहेगा।
- महाविद्यालय द्वारा प्रवस्थ समिति एवं शिक्कों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं आयं का प्रमाणिक विवस्थ उपलब्ध करावा जायेगा।
- संस्था बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमांत के पश्चात् ही विद्याचिद्यों का प्रचेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आश्रय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रही है।
- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई,
 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-मनव पर इस विषय में निर्मत शासनादेशों का पालन करेगी।
- उ. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिद्यायली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउनिसल आफ इण्डिया द्वारा नियारित शर्ता एव मानको की पूर्णित एव उनकी विरम्तरता को सुनिश्चित नहीं किया अध्येगा तो 3000 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के शुनंतत शावयानों के अम्बर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वायस लिये जाने की कार्यवाही विद्यानुसार की आयेगी।

कुलाविपति महोदय द्वारा प्रदल्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में कुलरति जो के आदेशानुसार एल-एस्ट्रूब्वीठ (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में 160 सीटों की प्रवेश समता के साथ स्ववित्त पीणित योजना के जनार्गत सत्र 2005-2006 अर्थान दिशंक 01.07.2005 से आणामी तीन यम हेतु उपरोक्त इतों तथा बार कीमल और इण्डिया की शर्तों के अर्थान सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> भवदीय, । , , कुलसचिव

प्रतिविविष:-

- सहस्यक कुलमचित्र (लेखा) को मुखनार्थ ।
- प्रभारी, कमेटी सेल, ची० वरण लिए विश्वविद्यालय को आसभी कार्यपरिषद की देवक के सुदानार्थ
- प्रभारी, स्टोर, चींधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सुचनाई ग्रेवित ।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफोशनल) सेल, बीधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सुन्तार्थ प्रेषित ।

Manager Saraswati Vidya Mandir Law College

Shikarpur (Bulandshahr)



पत्रांक : सम्बद्धता / १३ दे ह MISCHE 2006 विनाम ।

समित. सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कालेज, शिकारपुर, बुलम्दशहर

महोदय.

अनुसर्वित उस्त शिक्षा अनुसार-२ उसर प्रदेश शासन् लक्षणक को यत्र शेक्षण सम्बद्ध-173/सास-2-2006-2 (200)/2008 दिनाक 24.97.2008 का रादमें घटण धारने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानव भरकार ने जसर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनिधम १९७७ (यथासत्रीपित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सत्तोधन अधिनिधम 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या गाँवेर लॉ कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एलाफीठ (तीन वर्षीय) पाठ्यकम में रातील प्राचित योजना के अतर्यंत निम्नलिशित शर्तों से अधीन दिनाक 01.87.2008 से सम्बद्धता की सहये स्वाकृत प्रचान कर दी है -

महाविद्यालय द्वारा बार काउम्पान ऑफ इंग्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार क्येंकिल ऑफ इंप्डियां द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पासन कियां

सरका शासनादेश सरुया-2651 / संतर-2-2003-16(92) / 2002 दिनावः 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश शस्या-4108 / समार-2-2007-2(494) / 2007. दिनाक 17 अयद्यर, 2007 में जिल्लेखित दिशा-निर्देशों एव इस विषय में सथक-समय पर जिल्ली शासनादेशों का कारन करेगी।

यदि शस्या द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमाकती/अध्यादेश में बर्गित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निवारित सतो एव मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरनारता को सुनिश्चित नहीं किया आधेमां तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनिद्यम १९२३ के प्राविधानी के अन्तर्गठ संस्था की प्रदान की गई सम्बद्धता उपस दिखे ्याने की कार्यवाही नियमानुसार की आयेगी।

बारमीय जासम्म एवं बार क्वेंसिंग प्राप्त इंग्रिजा द्वारा प्रदार तथा ग्रीकृति हे आसक व कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्यक्षण में कुलपति जा क आदेशानुसार सरस्वती विद्या मंदिर ली कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एल०बीठ (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित योजना के अंतर्गत निम्नोसिसित सर्वो हो जारीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की वरीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में धाओं के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अंतुसार किये आयेगे।

प्रतितिथि :-

सहायक कुलसांधिय (लेखा) को सुधनार्थ । प्रवर्ते, क्रमेटी सेल. घोषरी बरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्व प्रेपित।

पुनरी स्टोर भोगरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सुननार्थ प्रियत। क्रीतरे गोधनीय (प्रोप्टेशनाव) सेत बीचरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सुचनार्थ प्रेषित।

स्विदः बार कीशिल ऑफ इंग्डिया २१ राजज एकेन्यु इस्टीट्युशनल एरिया गई दिस्सी-३ को सूचनार्ज एव अधिरयक कार्यवाही हेतु ग्रेषित।

Manager Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)



पत्रांक : सम्बद्धता//522 दिनांक: 4-7-2017-

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परनुक के अधीन सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को विधि संक्रायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बीठ (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शतों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर

लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्यानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों 02. यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी

संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों 04

एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय.

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

सविव, उच्य शिक्षा अनुमाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3.

6.

सिवंद, उच्या राज्ञा अनुमान—2, उत्तर प्रवंत सारान, लखनक का सूचनाथ प्राचत।
सिवंद, सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला— बुलन्दशहर।
सहायक कुलसंचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
प्रमारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रमारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रमारी, गोपनीय (प्रोफ्रेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रमारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट


गार्ड फाइल हेत्।

とないりり

कुलसचिव

Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)

n1 (78)





Tel.:(91) 011-4922 5036 / 37 Fax:(91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

 राउज ऐवन्यू इन्सटीटूशनल एरिया नई दिल्ली - 110 002

21, Rouse Avenue Institutional Area New Delhi - 110 002 Dated 04.7.2017

BCI: D: 949/2017 (LE/Afflin)

To.

The Registrar, Ch. Charan Singh University Meerut, Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandsehar, Uttar Pradesh for three year LL.B course for the academic year 2017-2018.

Sir.

This is with reference to the above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandschar, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2017-18 and wherein inspection of the Bar Council of India is pending.

H.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Legal Education Committee of Bar Council of India at it's meeting held on 30.4.2017 which was further ratified/confirmed by the General Council of Bar Council of India on 5th May, 2017. The resolution passed was as follows:

(Ja)

"RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2017-2018. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently."

Contd.../-

Manager Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)

100-960

Since your university has given affiliation for the year 2017-2018, you are requested to allow Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandsehar, Uttar Pradesh to admit students in three year LLB course with existing sections for the academic year 2017-2018.

This is for your information and necessary action.

[N. Senthil Kumar] Asst. Secretary Yours sincerely

[Srimanto Sen] Secretary

Copy to:

- The Principal Saraswati Vidya Mandir Law College, Saraswati Vihar, Shikarpur – 202395 Bulandshahr, Uttar Pradesh
- 2. The Secretary
 Bar Council of Uttar Pradesh
 19, Maharishi Dayanand Marg
 Allahabad (UP)

Manager Saraswati Vidya Mandir Law College Shikarpur (Bulandshahr)